जीवाजी विश्वविधालय ,ग्वालियर

क्र0/जीविवि/शोध/परीक्षा–2/गोप0/2015/3877 दिनांक 13/10/2015

प्रति,

समस्त प्राचार्या/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय

विषयः– शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय द्वारा सी.सी.ई.एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक समय पर जमा करने बावत्।

महोदय,

1. उपरोक्त विषय पर लेख हैं कि गत वर्षों में विश्वविद्यालय के देखने में आ रहा हैकि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय उनके यहॉ के संबंधित छात्रों के आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा के अंक ,कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय को मान्य करने हेतु भेजते है जो नियमानुसार उचित नहीं हैं इससे छात्रों के परीक्षा परिणाम रूकने के कारण छात्र तो परेशान होते ही हैं साथ ही विश्वविद्यालय पर कार्य का अतिरिक्त भार पड़ता है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय की स्थायी समिति की बैंठक दिनांक–22 जुलाई पद कमांक–03 पर हुये निर्णय जिसे माननीय कार्यपरिषद् की बैंठक दिनांक 13 अगस्त 2015 पद कमांक–02 पर अनुमोदन उपरान्त निर्णायानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता हैं कि किसी महाविद्यालय द्वारा उनके छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) एवं प्रायोगिक के अंक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि समाप्त होने के दस दिवस तक रूपये 25,000/–सहित स्वीकार किये जावेगें यदि महाविद्यालय दस दिवस समाप्त होने के बाद भी सी.सी.ई. एवं प्रायोगिक के अंक विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते हैं तो सम्बधिंत महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. विश्वविद्यालय के देखने में यह भी आ रहा है, कि कुछ शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय कुछ छात्रों के पर्ण /विपर्ण में सी.सी.ई./प्रायोगिक अंकों के स्थान पर अनुपस्थित लिखकर भेजते हैं तथा बाद में पत्र में त्रुटिवश अंकित कर अंक मान्य करने एवं पूर्व में कम अंक देकर बाद में अधिक अंक अंकित कर मान्य करने हेतु भेजते है। जो नियमानुसार उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है,कि किसी भी छात्र के अंक अंकित करते समय सावधानी पूर्वक अंक अंकित करावे ,बाद में यदि अंक संशोधन हेतु कोई भी पत्र भेजा जाता है तो उसके संशोधित अंक किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किये जावेगें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद् जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म0प्र0)।
2. कुलपति जी के सचिव ,जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म0प्र0)।
3. उप–कुलसचिव अकादमी जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म0प्र0)।

उप–कुलसचिव (गोपनीय)